रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/98 REGD. NO. D.L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 250] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 3, 1998/आषाढ़ 12, 1920
No. 250] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 3, 1998/ASADHA 12, 1920

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 1998

सा. का. नि. 378 (अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 1998 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 3 के उपनियम (8) में,—

(i) "चौंतीस प्रतिशत से अनधिक भस्म अन्तर्वस्तु वाले परिवृहत कोयले का उपयोग करेंगे" शब्दों के स्थान पर "चौंतीस प्रतिशत से अनधिक भस्म अन्तर्वस्तु वाले अपरिष्कृत या सम्मिश्रित या संपरिष्कृत कोयले का उपयोग करेंगे" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह कि ऐसे किसी उष्मीय ऊर्जा संयंत्र को, जो तरल-तर दहन या परिसंचारी तरल-तर दहन या वायुमंडलीय तरल-तर दहन या दाबित तरल-तर दहन या सभाकलित गैसीकरण संयुक्त आवर्तन प्रौद्योगिकियों का या ऐसी कोई अन्य परिष्कृत प्रौद्योगिकियों का, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जाएं, प्रयोग कर रहा है, खण्ड (क) और (ख) से छूट प्राप्त होगी ।";

(iii) स्पष्टीकरण (घ) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ङ) 'शहरी क्षेत्र' से ऐसे शहर की क्षेत्र सीमा अभिप्रेत है जिसकी जनसंख्या 1991 की जनगणना के अनुसार दस लाख से अधिक हो।"

[फा. सं. जैड-16011/1/94-सी. पी. डब्ल्यू.]

विजय शर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :—का. आ. 844 (स्था.) दिनांक 19 नवम्बर, 1986 के द्वारा भारत के राजपत्र में मुख्य नियम प्रकाशित किए गए थे और तदनन्तर निम्नलिखित के द्वारा उनमें संशोधन किए गए :

1. का. आ. सं. 433(स्था.) दिनांक 18-4-1987
2. का. आ. सं. 64(स्था.) दिनांक 18-1-1988
3. का. आ. सं. 8(स्था.) दिनांक 3-1-1989
4. का. आ. सं. 190(स्था.) दिनांक 15-3-1989
5. सा. का. नि. सं. 913(स्था.) दिनांक 24-10-1989
6. का. आ. सं. 12(स्था.) दिनांक 8-1-1990
7. सा. का. नि. सं. 743(स्था.) दिनांक 30-8-1990
8. का. आ. सं. 23(स्था.) दिनांक 16-1-1991
9. का. आ. सं. 913(स्था.) दिनांक 21-2-1991
10. सा. का. नि. सं. 95(स्था.) दिनांक 12-2-1992
11. सा. का. नि. सं. 329(स्था.) दिनांक 13-3-1992
12. सा. का. नि. सं. 475(स्था.) दिनांक 5-5-1992
13. सा. का. नि. सं. 797(स्था.) दिनांक 1-10-1992
14. सा. का. नि. सं. 386(स्था.) दिनांक 28-4-1993
15. सा. का. नि. सं. 422(स्था.) दिनांक 19-5-1993
16. सा. का. नि. सं. 801(स्था.) दिनांक 31-12-1993
17. का. आ. सं. 356(स्था.) दिनांक 4-5-1994
18. का. आ. सं. 595(स्था.) दिनांक 18-8-1994
19. का. आ. सं. 73(स्था.) दिनांक 31-1-1997
20. का. आ. सं. 494(स्था.) दिनांक 9-7-1997
21. सा. का. नि. सं. 560(स्था.) दिनांक 19-9-1997।

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 1998

G.S.R. 378 (E).—In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely :—

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 1998.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in rule 3, sub-rule (8),—

(i) for the words "beneficiated coal with an ash content not exceeding thirty-four per cent", the words "raw or blended or beneficiated coal with an ash content not exceeding thirty-four per cent on an annual average basis" shall be substituted;

(ii) after clause (b), the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that any thermal power plant using Fluidised Bed Combustion or Circulating Fluidised Bed Combustion or Atmospheric Fluidised Bed Combustion or Pressurised Fluidised Bed Combustion or Integrated Gasification Combined Cycle technologies or any other clean technologies as may be notified by the Central Government in the Official Gazette shall be exempted from clauses (a) and (b)";

(iii) after explanation (d), the following explanation shall be inserted, namely :—

"(e) 'urban area' means an area limit of a city having a population of more than 1 million according to 1991 census."

[F. No. Z. 16011/1/94-CPW]

VIJAI SHARMA, Jt. Secy.

Foote Note : Principal rules were published in the Gazette of India vide No. S.O. 844(E), dated the 19th November, 1986, and subsequently amended vide :—

(1) S.O. No. 433(E) dated 18-04-1987.

(2) S.O. No. 64(E) dated 18-01-1988.

(3) S.O. No. 8(E) dated 03-01-1989.

(4) S.O. No. 190(E) dated 15-03-1989.

(5) G.S.R. No. 913(E) dated 24-10-1989.

(6) S.O. No. 12(E) dated 08-01-1990.

(7) G.S.R. No. 742(E) dated 30-08-1990.

(8) S.O. No. 23(E) dated 16-01-1991.

(9) G.S.R. No. 913(E) dated 21-02-1991.

(10) G.S.R. No. 95(E) dated 12-02-1992.

(11) G.S.R. No. 329(E) dated 13-03-1992.

(12) G.S.R. No. 475(E) dated 05-05-1992.

(13) G.S.R. No. 797(E) dated 01-10-1992.

(14) G.S.R. No. 386(E) dated 28-04-1993.

(15) G.S.R. No. 422(E) dated 19-05-1993.

(16) G.S.R. No. 801(E) dated 31-12-1993.

(17) S.O. No. 356(E) dated 04-05-1994.

(18) S.O. No. 595(E) dated 18-08-1994.

(19) S.O. No. 73(E) dated 31-01-1997.

(20) S.O. No. 494(E) dated 09-07-1997.

(21) G.S.R. No. 560(E) dated 19-09-1997.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998

IndiaCode